## कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-॥)उत्तर प्रदेश

"ऑडिट भवन", टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010 सं.म.ले.(लेखापरीक्षा-II)/RTI Trng/प्रशा./2024-25/ % दिनांक-2//08/2024

कार्यालय आदेश

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, प्रयागराज अगस्त 2024 में निम्नलिखित विषय पर **On-site (आफ-लाइन)** प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु नामित किया गया है;

In August 2024, the Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Prayagraj is conducting **On-site (Offline)** trainings on the following subject. The following officers/employees are nominated by the competent authority for participation in the training programmes mentioned below his/her name.

क्र. स	प्रशिक्षण का विषय	अवधि	स्लॉट की संख्या	नामित अधिकारी का नाम (श्री)
1.	"Indian Government Accounting Standards (IGAS) & Indian Government Financial Reporting Standards (IGFRS)"	27/08/2024 to 30/08/2024	04	1.Ankush Meena, AAO 2.Anurag Singh Chandel, AAO 3.Karan Deo Singh, AAO 4.Ravi Singh, AAO

उक्त प्रशिक्षण में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि प्रशिक्षणार्थी किसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं कर पाने की स्थिति में हैं, तो सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन ॥ को उक्त संबंध में तत्काल सूचित करेंगें।

It is mandatory to participate in the training for the officers/ employees nominated in the above training. In case, the trainee is not in a position to participate in the training due to unavoidable reasons the same will be informed immediately to AAO/Admin II before the training starts.

— ह्या — वरि. उप महालेखाकार/प्रशा. दिनांक-थे/08/2024

सं.म.ले.(लेखापरीक्षा-II)/RTI Trng/प्रशा./2024-25/ 116 🕏 प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

- 1. व. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-II
- 2. व. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-III एवं प्रशासन
- 3. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-IV
- 4. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ०प्र०, लखनऊ
- 5. व॰ले॰प॰अ॰/ए.एम.जी. II/ ए.एम.जी. IV/रिपोर्ट (Revenue)/ रिपोर्ट (PSU & NON-PSU/GD/PC/IT को इस निर्देश के साथ कि वे प्रशिक्षणार्थियों को सूचित करें कि वे उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित हो ।
- 6. स॰ले॰प॰अ॰/आई.टी.सेल, इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश की प्रति, कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7. संबंधित अधिकारी (ई-मेल द्वारा) को इस निर्देश के साथ कि वें प्रशिक्षण के एक दिन पहले ट्रांजिट लेकर अपने कार्यस्थल से (HQ/Field) RTI प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगें और प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त उसी शाम/ रात का ट्रांजिट लेकर वापस अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होंगें।
- 8. नोटिस बोर्ड

Signed by Sunil Kumar Pandey

Date: 14-08-2024 17:04:23

व०लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.